(वाद सं0.-1954/4/4/2023)

18-09-2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, रीता देवी (अनुसूचित जाति की महिला) के द्वारा भा0द0स0 की धाराओ 341/323/307/504/120बी/34 व अनु0जाति/ जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1)(x) से संबंधित मुफ्फसिल (बेगूसराय) थाना कांड सं0–328/2016, दिनांक–13.08.2016 संस्थित किये जाने तथा उपरोक्त कांड के अनुसंधानोपरान्त न्यायालय में आरोप–पत्र समर्पित कर दिये जाने के बाद भी जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा नियमानुसार मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी को अनु0जाति /अनु0जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 तथा नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत PFMS के माध्यम स नियमानुसार ₹-50,000.00 (पचास हजार) रूपये अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपरोक्त भुगतान के प्रमाणस्वरूप उनके द्वारा कागजातो की प्रति भी अनुलग्नित की गई है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा निस्तारण किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर से **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–13–08/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव